

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

क्रि.नं० - 157/2024

अनवान :-

1. दीपचन्द पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

:- वादी


बनाम

1. कमला पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. राजबाला पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. किरण पत्नी दिनेश कुमार जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. एकता पुत्री दिनेश कुमार जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
5. विपिन कुमार पुत्र दिनेश कुमार नाबालिगान जरिये माता किरण जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
6. भूपसिंह पुत्र निकूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
7. भानीराम पुत्र निकूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
8. राजकुमार पुत्र निकूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के सम्मक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी व वकील प्रतिवादी वकील श्री सुरेन्द्र मील की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक विभाजन डिकी किया जाता है तथा रोही मोजा चक 6 एनटीआर के खाता सं० 70/58 के मु० न० 4 के किला न० 9, 11, 12, 19 ता 22, मु० न० 5 के किला न० 21/1, 21/2 मु० न० 6 के किला न० 25/1, 25/2, मु० न० 11 के किला न० 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 15/1, 15/2, 15/3, मु० न० 12 के किला न० 1, 10, 11 कुल 3.795 है०, जिसमें से नहरी 3.642 है०, गै० मु० रास्ता 0.078 है०, गै० मु० खाला 0.075 है० खातेदारी कृषि भूमि में वादी दीपचंद के नाम 37/840 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1 कमला के नाम 17/168 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 2 राजबाला के नाम 37/840 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 3 किरण के नाम 17/840 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 4 एकता के नाम 17/840 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 5 विपिन के नाम 17/840 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 6 भूपसिंह के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 7 भानीराम के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 8 राजकुमार के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैंमें खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

भूपसिंह पुत्र निकूराम जाति जाट साकिन नेठराना खातेदार:- मोजा चक 6 एनटीआर के खाता सं० 70/58 के मु० न० 4 के किला न० 9, 12, 19 प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला न० 22 की 0.149 है० कुल रकबा 0.908 है०

भानीराम पुत्र निकूराम जाति जाट साकिन नेठराना खातेदार:- मोजा चक 6 एनटीआर के खाता सं० 70/58 के मु० न० 5 के किला न० 21/1 की 0.240 है०, किला न० 21/2 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, मु० न० 6 के किला न० 25/1 की 0.227 है०, किला न० 25/2 की 0.026 है० गै० मु० रास्ता, मु० न० 11 के किला न० 6/1 की 0.157 है०, किला न० 15/1 की 0.029 है०, किला न० 6/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 6/3 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, मु० न० 12


उपखण्ड अधिकारी
जिला हनुमानगढ़

किला न० 11 की 0.253 है० कुल रकबा 0.983 है० जिसमें नहरी 0.906 है०, गै० मु० रास्ता 0.052 है०, गै० मु० खाला 0.025 है०

राजकुमार पुत्र निकूराम जाति जाट साकिन नेठराना खातेदार:- मोजा चक 6 एनटीआर के खाता सं० 70/58 के मु० न० 11 के किला न० 5/1 की 0.215 है०, किला न० 5/2 की 0.025 है०, गै० मु० खाला, किला न० 5/3 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, किला न० 15/1 की 0.186 है०, किला न० 15/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 15/3 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, मु० न० 12 के किला न० 1 व 10 प्रत्येक की 0.253 है०, कुल रकबा 0.983 है० जिसमें नहरी 0.907 है०, गै० मु० रास्ता 0.050 है०, गै० मु० खाला 0.026 है०

कमला पत्नी रामकुमार जाति जाट साकिन नेठराना खातेदार:- मोजा चक 6 एनटीआर के खाता सं० 70/58 के मु० न० 4 के किला न० 11 की 0.253 है०, किला न० 20 की 0.114 है० कुल रकबा 0.367 है० नहरी,

दीपचन्द पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन नेठराना खातेदार :- मोजा चक 6 एनटीआर के खाता सं० 70/58 के मु० न० 4 के किला न० 20 की 0.139 है०, किला न० 21 की 0.013 है० प्रस्तावित रास्ता, किला न० 21/2 की 0.021 है० नहरी,

राजबाला, किरण पि० दिनेश, एकता, विपिन कुमार पि० माता किरण जाति जाट साकिन नेठराना खातेदार:- मोजा चक 6 एनटीआर के खाता सं० 70/58 के मु० न० 4 के किला न० 21 की 0.219 है०, किला न० 22 की 0.104 है०, मु० न० 11 के किला न० 6/1 की 0.058 है०, कुल रकबा 0.381 है० नहरी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। पूर्व में दर्ज गै० मु० खाला रास्ता व भूमि की किस्म यथावत् रखी जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

क्रमांक - 157 / 2024



1. दीपचन्द पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. कमला पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. राजबाला पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. किरण पत्नी दिनेश कुमार जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. एकता पुत्री दिनेश कुमार जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
5. विपिन कुमार पुत्र दिनेश कुमार नाबालिगान जरिये माता किरण जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
6. भूपसिंह पुत्र निकूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
7. भानीराम पुत्र निकूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
8. राजकुमार पुत्र निकूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान
कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री मुंशीराम गोस्वामी वादी
श्री सुरेन्द्र मील प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 21/04/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 6 एनटीआर के खाता सं० 70/58 के मु० न० 4 के किला न० 9, 11, 12, 19 ता 22, मु० न० 5 के किला न० 21/1, 21/2 मु० न० 6 के किला न० 25/1, 25/2, मु० न० 11 के किला न० 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 15/1, 15/2, 15/3, मु० न० 12 के किला न० 1, 10, 11 कुल 3.795 है०, जिसमें से नहरी 3.642 है०, गै० मु० रास्ता 0.078 है०, गै० मु० खाला 0.075 है० खातेदारी कृषि भूमि में वादी दीपचंद के नाम 37/840 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1 कमला के नाम 17/168 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 2 राजबाला के नाम 37/840 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 3 किरण के नाम 17/840 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 4 एकता के नाम 17/840 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 5 विपिन के नाम 17/840 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 6 भूपसिंह के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 7 भानीराम के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 8 राजकुमार के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सीव डोल बने हुये है। राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं० 1 ता 8 की ओर से दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया।

Kalpit



बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि के हिस्सा अनुसार मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के विवादित भूमि का खाता व लगान से कायम किया जावे जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने नही मोजा चक 6 एनटीआर के खाता सं० 70/58 के मु० न० 4 के किला न० 9, 11, 12, 19 ता 22, मु० न० 5 के किला न० 21/1, 21/2 मु० न० 6 के किला न० 25/1, 25/2, मु० न० 11 के किला न० 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 15/1, 15/2, 15/3, मु० न० 12 के किला न० 1, 10, 11 कुल 3.795है०, जिसमें से नहरी 3.642है०, गै० मु० रास्ता 0.078है०, गै० मु० खाला 0.075है० खातेदारी कृषि भूमि में वादी दीपचंद के नाम 37/840 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1 कमला के नाम 17/168 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 2 राजबाला के नाम 37/840 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 3 किरण के नाम 17/840 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 4 एकता के नाम 17/840 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 5 विपिन के नाम 17/840 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 6 भूपसिंह के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 7 भानीराम के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 8 राजकुमार के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव, डीकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

भूपसिंह पुत्र निकूराम जाति जाट साकिन नेठराना खातेदारः— मोजा चक 6 एनटीआर के खाता सं० 70/58 के मु० न० 4 के किला न० 9, 12, 19 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला न० 22 की 0.149है० कुल रकबा 0.908है०


भानीराम पुत्र निकूराम जाति जाट साकिन नेठराना खातेदारः— मोजा चक 6 एनटीआर के खाता सं० 70/58 के मु० न० 5 के किला न० 21/1 की 0.240है०, किला न० 21/2 की 0.013है० गै० मु० रास्ता, मु० न० 6 के किला न० 25/1 की 0.227है०, किला न० 25/2 की 0.026है० गै० मु० रास्ता, मु० न० 11 के किला न० 6/1 की 0.157है०, किला न० 15/1 की 0.029है०, किला न० 6/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 6/3 की 0.013है० गै० मु० रास्ता, मु० न० 12 के किला न० 11 की 0.253है० कुल रकबा 0.983है० जिसमें नहरी 0.906है०, गै० मु० रास्ता 0.052है०, गै० मु० खाला 0.025है०

राजकुमार पुत्र निकूराम जाति जाट साकिन नेठराना खातेदारः— मोजा चक 6 एनटीआर के खाता सं० 70/58 के मु० न० 11 के किला न० 5/1 की 0.215है०, किला न० 5/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 5/3 की 0.013है० गै० मु० रास्ता, किला न० 15/1 की 0.186है०, किला न० 15/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 15/3 की 0.013है० गै० मु० रास्ता, मु० न० 12 के किला न० 1 व 10 प्रत्येक की 0.253है०, कुल रकबा 0.983है० जिसमें नहरी 0.907है०, गै० मु० रास्ता 0.050है०, गै० मु० खाला 0.026है०

कमला पत्नी रामकुमार जाति जाट साकिन नेठराना खातेदारः— मोजा चक 6 एनटीआर के खाता सं० 70/58 के मु० न० 4 के किला न० 11 की 0.253है०, किला न० 20 की 0.114है० कुल रकबा 0.367है०, नहरी,

दीपचन्द पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन नेठराना खातेदार :- :- मोजा चक 6 एनटीआर के खाता सं० 70/58 के मु० न० 4 के किला न० 20 की 0.139है०, किला न० 21 की 0.013है० प्रस्तावित रास्ता, किला न० 21/2 की 0.021है० नहरी,

राजबाला, किरण पि० दिनेश, एकता, विपिन कुमार पि० माता किरण जाति जाट साकिन नेठराना खातेदारः— मोजा चक 6 एनटीआर के खाता सं० 70/58 के मु० न० 4 के किला न० 21 की 0.


खण्डाधिकारी (राजस्व)
जयपुर

20. किला नं० 22 की 0.104 है०, मु० न० 11 के किला न० 6/1 की 0.058 है०, कुल रकबा 0.162 है० नहरी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। पूर्व में दर्ज गै०मु० खाला रास्ता व किस्म भूमि को यथावत् रखते हुए यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कालिदास शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
मादरा जिला हनुमानगढ़